

सहारनपुर विकास प्राधिकरण

की



67वीं बोर्ड बैठक का

कार्यवृत्त

दिनांक : 10.08.2022

समय : अपराह्ण 03.30 बजे

स्थान : सभागार, सर्किट हाऊस, सहारनपुर।

<u>क्र०सं०</u>	<u>नाम / पदनाम</u>	<u>पदेन</u>	<u>हस्ताक्षर</u>
11-	श्री राकेश जैन	गैर सरकारी/मनोनीत सदस्य	राकेश जैन
12-	श्री सुरेन्द्र शर्मा	गैर सरकारी/मनोनीत सदस्य	सुरेन्द्र शर्मा
13-	श्री अमित गगनेजा	गैर सरकारी/मनोनीत सदस्य	अमित गगनेजा
14-	अधीक्षण अभियन्ता नगरीय विद्युत वितरण खण्ड, सहारनपुर।	विशेष आमंत्री 	विशेष आमंत्री 
15-	श्री विजय कुमार सिंह सहायक नगर नियोजक, मेरठ / सहारनपुर विकास प्राधिकरण।	विशेष आमंत्री	विशेष आमंत्री 
16-	परियोजना प्रबन्धक उत्तर प्रदेश सेतु निगम, सहारनपुर।	विशेष आमंत्री 	विशेष आमंत्री 

दिनांक 10-08-2022 को आहूत सहारनपुर विकास प्राधिकरण की 67वीं बोर्ड बैठक में उपस्थिति।

<u>क्र0सं0</u>	<u>नाम/पदनाम</u>	<u>पदेन</u>	<u>हस्ताक्षर</u>
1-	श्री लोकेश एम० आयुक्त सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।	अध्यक्ष	
2-	श्री अखिलेश सिंह जिलाधिकारी, सहारनपुर।	सदस्य	
3-	सचिव आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1, उ0प्र0शासन, लखनऊ।	सदस्य	
4-	सचिव वित्त विभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।	सदस्य	
5-	श्री आशीष कुमार उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण, सहारनपुर।	उपाध्यक्ष	
6-	श्री गजल भारद्वाज नगर आयुक्त, नगर निगम, सहारनपुर।	सदस्य	
7-	श्री कृष्ण मोहन सहयुक्त नियोजक, मेरठ सम्भागीय नियोजन खण्ड, मेरठ। प्रतिनिधि— मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश, लखनऊ।	सदस्य	
8-	अपर निदेशक (कोषागार) सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर। प्रतिनिधि— सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0शासन, लखनऊ।	सदस्य	
9-	अधीक्षण अभियन्ता <u>कैदपाल AE</u> उ0प्र0 जल निगम, निर्माण खण्ड, सहारनपुर।	सदस्य	
10-	अधीक्षण अभियन्ता <u>C.P. ९१४६६</u> सहारनपुर वृत्त, लोक निर्माण विभाग, सहारनपुर।	सदस्य	

		<p>क्षेत्रफल आवंटित किया जाए जितना विवादग्रस्त सम्पत्ति के आवंटन पत्र/रजिस्ट्री में उल्लिखित हो तथा शेष क्षेत्रफल निकट के प्लॉट में वर्तमान प्रचलित दर पर समायोजित किया जाए जिससे प्राधिकरण को कोई वित्तीय क्षति न हो।</p> <p>भूखण्ड संख्या 73ई, 73जे एवं 73डी की लाटरी तीनों विवादग्रस्त आवेदकों के मध्य की गयी।</p> <p>भूखण्ड संख्या 73ई, 73जे एवं 73डी की लाटरी तीनों विवादग्रस्त आवेदकों के मध्य की गयी।</p> <p>लाटरी का परिणाम निम्नानुसार रहा (संलग्नक-4) :-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र. स.</th><th>आवंटी का नाम</th><th>भूखण्ड सं०</th><th>पूर्व में आवंटित क्षेत्रफल</th><th>परिवर्तित भूखण्ड का की सं०</th><th>परिवर्तित भूखण्ड का क्षेत्रफल</th><th>परिवर्तित भूखण्ड का बढ़ा क्षेत्रफल</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>श्री नरेन्द्र कुमार</td><td>बी-16</td><td>250 वर्गमी०</td><td>73(जे)</td><td>258.38 वर्गमी०</td><td>8.38 वर्गमी०</td></tr> <tr> <td>2</td><td>श्री प्रदीप पवार</td><td>बी-21</td><td>246.16 वर्गमी०</td><td>73(ई)</td><td>244.17 वर्गमी०</td><td>1.99 वर्गमी० कम</td></tr> <tr> <td>3</td><td>श्री दिनेश कुमार</td><td>बी-25</td><td>246.33 वर्गमी०</td><td>73(डी)</td><td>282.02 वर्गमी०</td><td>35.69 वर्गमी०</td></tr> </tbody> </table> <p>भूखण्ड संख्या बी-25 एवं बी-21 की रजिस्ट्री हो चुकी है। इसलिए भूखण्ड संख्या बी-25 की रजिस्ट्री के अनुसार भूखण्ड संख्या 73डी में से जो अतिरिक्त भूमि 35.69 वर्गमी० अवशेष रहती है उसे 73एफ के आवंटी द्वारा वर्तमान दर पर लेने हेतु सहमति दी गयी है। वर्तमान दर पर भूमि दिये जाने पर कोई वित्तीय क्षति नहीं होगी।</p> <p>उपरोक्तानुसार भूखण्ड संख्या 73जी के स्थान पर भूखण्ड संख्या 73डी को लॉटरी में सम्मिलित करते हुए लॉटरी के परिणाम के अनुमोदन हेतु एवं भूखण्ड संख्या 73डी के अतिरिक्त क्षेत्रफल की भूमि को वर्तमान दर पर भूखण्ड संख्या 73एफ के आवेदक को आवंटित करने तथा उक्त से योजना के तलापट मानवित्र पर होने वाले आंशिक संशोधन स्वीकृति हेतु प्रस्ताव माओ बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।</p>	क्र. स.	आवंटी का नाम	भूखण्ड सं०	पूर्व में आवंटित क्षेत्रफल	परिवर्तित भूखण्ड का की सं०	परिवर्तित भूखण्ड का क्षेत्रफल	परिवर्तित भूखण्ड का बढ़ा क्षेत्रफल	1	श्री नरेन्द्र कुमार	बी-16	250 वर्गमी०	73(जे)	258.38 वर्गमी०	8.38 वर्गमी०	2	श्री प्रदीप पवार	बी-21	246.16 वर्गमी०	73(ई)	244.17 वर्गमी०	1.99 वर्गमी० कम	3	श्री दिनेश कुमार	बी-25	246.33 वर्गमी०	73(डी)	282.02 वर्गमी०	35.69 वर्गमी०	
क्र. स.	आवंटी का नाम	भूखण्ड सं०	पूर्व में आवंटित क्षेत्रफल	परिवर्तित भूखण्ड का की सं०	परिवर्तित भूखण्ड का क्षेत्रफल	परिवर्तित भूखण्ड का बढ़ा क्षेत्रफल																									
1	श्री नरेन्द्र कुमार	बी-16	250 वर्गमी०	73(जे)	258.38 वर्गमी०	8.38 वर्गमी०																									
2	श्री प्रदीप पवार	बी-21	246.16 वर्गमी०	73(ई)	244.17 वर्गमी०	1.99 वर्गमी० कम																									
3	श्री दिनेश कुमार	बी-25	246.33 वर्गमी०	73(डी)	282.02 वर्गमी०	35.69 वर्गमी०																									
67/03	राजकीय भूमि पर राजकीय कार्यदायी संस्थाओं द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत प्रस्तावित परियोजनाओं हेतु वर्तमान महायोजना-2021 में विद्यमान	<p>कृपया परिचालन के माध्यम से सम्पन्न हुई विकास प्राधिकरण की 65वीं बोर्ड बैठक के एजेंडा आईटम संख्या 65/01 पर पारित प्रस्ताव (संलग्नक-1) का संज्ञान लेने का कष्ट करें जिसकी पुष्टि विकास प्राधिकरण की 66वीं बोर्ड बैठक(संलग्नक-2) में की गयी है।</p> <p>उपरोक्त बैठकों के उक्त प्रस्तावों के माध्यम से स्मार्ट सिटी लिं, सहारनपुर द्वारा जुबली पार्क की भूमि पर कॉमर्शियल शॉपिंग एंड ऑफिस कॉम्प्लैक्स विद मल्टीलेवल पार्किंग निर्माण हेतु जुबली पार्क के खसरा नं० 959 की 7000.00 वर्गमी० भूमि का विद्यमान भू-उपयोग "पार्क/प्लेग्राउण्ड एवं ओपन स्पेस" को "कॉमर्शियल" भू-उपयोग में परिवर्तित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था। साथ ही उक्तानुसार भू-उपयोग परिवर्तन के सापेक्ष नगर आयुक्त, सहारनपुर द्वारा प्रस्तावित वैकल्पिक भूमि</p>	<p>माओ बोर्ड द्वारा विचारोपन्त प्रस्ताव स्वीकृत किया गया।</p>																												

	<p><b>भूउपयोग के भूउपयोग परिवर्तन/संशोधन कराये जाने के संबंध में।</b></p> <p>मानकमऊ में गौरी शंकर इण्टर कालेज के सामने खसरा नं० 364 की लगभग 7480.00 वर्गमी०(खुदान) की भूमि को “पार्क, प्लेग्राउण्ड एवं ओपन स्पेस” में आरक्षित करने हेतु प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया था। बोर्ड के अनुमोदन के फ्रम में उक्त प्रस्ताव शासन को उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम—1973 की धारा13(2) के अधीन दिनांक 04.04.2021 को प्रेषित किये गए।</p> <p>मुख्य कार्यकारी अधिकारी, स्मार्ट सिटी लिं. , सहारनपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार उनके द्वारा उक्त रथल पर पूर्व प्रेषित प्रस्ताव ‘कॉमिश्यल शॉपिंग एण्ड ऑफिस कॉम्प्लैक्स विद मल्टीलेवल पार्किंग’ के स्थान पर अब केवल “पार्किंग” का प्राविधान किया जा रहा है। उक्त के दृष्टिगत पूर्व स्वीकृत प्रस्ताव को निम्नानुसार संशोधित किये जाने हेतु प्रस्ताव मा० बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत है :-</p> <p>1— स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अंतर्गत जुबली पार्क की भूमि पर प्रस्तावित पार्किंग निर्माण हेतु जुबली पार्क के खसरा नं० 959 की 7000.00 वर्गमी० भूमि को विद्यमान भू-उपयोग “पार्क, प्लेग्राउण्ड एवं ओपन स्पेस” को “यातायात/परिवहन” भू-उपयोग में पार्किंग उपयोग में परिवर्तित कराये जाने हेतु उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम की धारा—13(2) के अधीन प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने हेतु प्रस्ताव मा० बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।</p> <p>2— साथ ही मानकमऊ में अमर शाहीद इण्टर कालेज के पास स्थित खसरा नं० 364 भूमि क्षे० 7480.00 वर्गमी०(खुदान) को वैकल्पिक भूमि के रूप में “पार्क, प्लेग्राउण्ड एवं ओपन स्पेस” में आरक्षित करने हेतु पूर्व स्वीकृत प्रस्ताव को यथावत रखने हेतु प्रस्ताव मा० बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ प्रस्तुत है।</p>		
67 / 04	<p>सहारनपुर विकास क्षेत्र की सीमा वृद्धि का प्रस्ताव।</p> <p>कृपया अवगत कराना है शासकीय अधिसूचना संख्या 721/९-आ-५-९५-६६डी.ए./८३ दिनांक 03 मई, 1995 के द्वारा सहारनपुर विकास क्षेत्र घोषित किया गया था, जिससे पूर्व में अविसूचित विनियमित क्षेत्र (सहारनपुर नगर पालिका के सीमा के अन्तर्गत आने वाले तथा उसके आसपास 102 राजस्व ग्रामों) को ही यथावत रखा गया। पुनः आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-10 से जारी अधिसूचना संख्या 274/आठ-१०-१६-३गठन/2008 दिनांक 28 अक्टूबर, 2016 के माध्यम से सहारनपुर विकास क्षेत्र की सीमा में 42 ग्रामों को समिलित किया गया।</p>	<p>मा० बोर्ड द्वारा विचारोपरान्त प्रस्ताव स्वीकृत प्रस्ताव को शासन को प्रेषित</p>	

करने हेतु निर्देशित  
किया गया।

सहारनपुर विकास प्राधिकरण का सीमा विस्तार पूर्व में वर्ष 2016 में हुआ था। तब से अब तक बाहरी क्षेत्रों में व सीमा से बाहर विभिन्न विकास कार्य जनपद में हुए हैं जिसका असर जनपद के विकास पर हो रहा है। उदाहरणतः दिल्ली यमनोत्री हाईवे निर्माण, अम्बाला-देहरादून वार्डपास निर्माण, जनता रोड पर विश्वविद्यालय निर्माण, पिलखनी में डेडिकेटेड फंट कारिडोर का प्रस्तावित डिपो, सरसावा से सिविल एयरपोर्ट का निर्माण, दिल्ली-देहरादून इकनॉमिक कारिडोर का निर्माण आदि। उक्त विकास कार्यों के कारण प्राधिकरण सीमा से बाहर आर्थिक गतिविधियों में बढ़ोत्तरी हुई है जिसे शुरूवात से ही नियोजित किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

साथ ही उक्त निर्माण/विकास कार्यों के फलस्वरूप आस-पास के क्षेत्र में आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक गतिविधियों संचालित होने की प्रबल संभावना है। भविष्य में अनाधिकृत रूप से संचालित होने वाले आवासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु सहारनपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की सीमा के विस्तार की आवश्यकता है। इस हेतु प्राधिकरण का सीमा विस्तार कर प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार में निम्न 31 राजस्व ग्रामों को लाया जाना आवश्यक है :—

क्र०सं०	मार्ग का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	तहसील का नाम
01	जनता रोड	चंद्रावली	सहारनपुर सदर
		आसनवाली	
		रावमजरा	
		पुवारका	
		लखनौती कलां	
		हीराहेडी	
		लखनौती खुर्द	
		विशनपुर	
		लडवा	
02	अम्बाला रोड	सौराना	नकुड़
		सरुपुर गाड़ा	
		अलीपुरा	
		अहमदपुर ब्राह्मण	
		रजधान	
		सरसाहेडी	
		गोविन्दपुर	

		<p>आपत्ति है वयोंकि भूखण्ड के पीछे आवारीय क्षेत्र है। भूखण्ड के द्वितीय व तृतीय तल पर व्यवसायिक कार्य नहीं किया जा सकता। लॉज या होटल बनाने के लिए सराय एकट के अनुसार अनुमति, अभिनशमन से अनुमति ली गयी है अथवा नहीं। सहारनपुर महायोजना-2021 के तहत मानचित्र बनाने वाले आर्किटेक्ट से पूर्णता प्रमाण पत्र भी लिया जाना आवश्यक है।</p> <p>आपत्तिकर्ताओं की आपत्ति एवं प्रकरण के परीक्षण हेतु सहारनपुर महायोजना-2021 के पैज-72 प्रस्तर संख्या- 4.1 पर विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं हेतु अपेक्षाएं के संबंध में निम्न समिति गठित है (संलग्नक-1) :-</p> <p>(अ) विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा श्री विजय कुमार सिंह, नगर नियोजक को नामित किया गया है।</p> <p>इस संबंध में अवगत कराना है कि उपाध्यक्ष द्वारा श्री विजय कुमार सिंह, नगर नियोजक को नामित किया गया है।</p> <p>(ब) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश अथवा उनके प्रतिनिधि।</p> <p>मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश द्वारा अपने पत्रांक 574/कैम्प/प्राधि. बैठक(नामित)/टीसीपी/2022-23 दिनांक 04 जुलाई, 2022 द्वारा श्रीमती स्मिता निगम, सहायक नगर नियोजक, मुख्यालय लखनऊ को नामित किया गया।</p> <p>(स) अध्यक्ष विकास प्राधिकरण द्वारा नामित प्राधिकरण बोर्ड के एक गैर सरकारी सदस्य।</p> <p>अध्यक्ष महोदय द्वारा गैर सरकारी सदस्य के रूप में श्री अमित गगनेजा को नामित किया गया।</p> <p>प्रश्नगत प्रकरण में उक्त समिति द्वारा दिनांक 08.07.2022 को अपराह्न 3.30 बजे विडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से बैठक आहूत की गयी जिसकी आख्या निम्नवत है (संलग्नक-2) :-</p> <p>“प्रश्नगत प्रकरण में दिनांक 08.07.2022 को अपराह्न 3.30 बजे विडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से बैठक आहूत की गयी, जिसमें मात्र एक आपत्तिकर्ता श्री अवनीश कुमार उपस्थित हुए। आपत्तिकर्ता श्री अवनीश कुमार को सुना गया। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शिकायतकर्ताओं द्वारा मुख्यतः प्रश्नगत निर्माण के पूर्व स्वीकृत एवं शमनित मानचित्र के सम्बन्ध में आपत्ति की है कि द्वितीय तल व तृतीय तल पर अवैध रूप से होटल एवं ब्रिस्टो टैरेस संचालित होने व अशमनीय निर्माण को वर्तमान तक भी धस्त नहीं किये जाने की शिकायत की गयी है। निर्माणकर्ता द्वारा द्वितीय व तृतीय तल पर अतिथि गृह की प्रस्तावना हेतु मोडिफाइड संशोधित शमन मानचित्र प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्त शिकायतों के सम्बन्ध में प्रश्नगत निर्माण का शमन किये जाने हेतु आवेदन के साथ संलग्न अभिलेखों के परीक्षण से स्पष्ट हुआ है कि आवेदक द्वारा शमन प्रस्ताव के साथ पूर्व में धस्तीकरण हेतु चिन्हित निर्माण को एक माह में धस्त किये जाने हेतु शपथ प्रस्तुत किया है।”</p>	<p>नियोजक, लखनऊ के प्रतिनिधि थे जिन्होंने मानचित्र स्वीकृति हेतु बोर्ड के समक्ष रखने की संस्तुति की है तथा बोर्ड में उपस्थित मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, लखनऊ के प्रतिनिधि द्वारा इस पर आपत्ति व्यक्त की गई है। इसलिए मा० बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत प्रकरण को मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ०प्र० लखनऊ को संदर्भित कर आख्या प्राप्त की जाये उसके उपरान्त आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।</p>
--	--	--	---

अतः आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र तथा प्रश्नगत प्रकरण को शमन किये जाने हेतु विशेष अनुमति हेतु गठित समिति की बैठक आयोजित कर निर्णय लिया जाएगा। अतः उक्त के दृष्टिगत आपत्तिकर्ताओं की आपत्ति निक्षेपित की जाती है।"

प्रश्नगत प्रकरण में उक्त आपत्तियों का निराकरण करने के उपरान्त प्रकरण में निर्माणकर्ता द्वारा प्रस्तुत अतिथि गृह की स्वीकृति हेतु संशोधित शमन मानचित्र के सम्बन्ध में दिनांक 18.07.2022 को अपराह्न 2.30 बजे विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से बैठक आहूत की गयी जिसकी आख्या निम्नवत है (संलग्नक-3) :-

"प्रकरण में निर्माणकर्ता द्वारा प्रस्तुत अतिथि गृह की स्वीकृति हेतु संशोधित शमन मानचित्र के संबंध में दिनांक 18.07.2022 को सांय 4.00 बजे के स्थान पर अपराह्न 2.30 बजे विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से बैठक आहूत की गयी जिसमें निर्णयानुसार शमन मानचित्र में दर्शित टू-बी डिमोलिश भाग को एक माह के अन्दर स्वयं ध्वस्त करना होगा। इस आशय का शपथ पत्र आवेदक को प्रस्तुत करना होगा एवं टू-बी डिमोलिश भाग को तोड़ने के सम्बन्ध में स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी से सम्बद्धित स्ट्रक्चरल इंजीनियर का सेपटी सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा। जोनिंग रेगूलेशन के प्राविधानों के अनुसार अतिथि गृह क्रिया निर्मित क्षेत्र भू-उपयोग में विशेष अनुमति से अनुमन्य है।"

सहारनपुर महायोजना-2021 के पैज-72 प्रस्तर संख्या-4.1 विशेष अनुमति से अनुमन्य क्रियाओं हेतु अपेक्षाएं में निर्देशित किया गया है कि विकास क्षेत्र/विशेष विकास क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी प्रमुख भू-उपयोग जोन में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष परिस्थितियों में अन्य क्रियाओं की अनुमति दिये जाने से पूर्व ऐसे प्रत्येक मामले में गठित समिति द्वारा परीक्षण किया जायेगा जिसकी संस्तुति प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी और बोर्ड के अनुमोदनोपरान्त ही अनुज्ञा प्रदान की जायेगी।

अतः प्रस्तुत प्रकरण में उपर्युक्त संदर्भित शमन मानचित्र के अन्तर्गत द्वितीय एवं तृतीय तल पर "अतिथि गृह" क्रिया की प्रस्तावना को सहारनपुर महायोजना-2021 में दिये गये प्राविधानानुसार विशेष अनुमति से स्वीकृति प्रदान किये जाने का प्रस्ताव मा० बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

अन्य विषय : अध्यक्ष महोदय की अनुमति से :-

एजेन्डा आईटम सं०	विषय	मा० बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देश
अन्य विषय-०१	सहारनपुर विकास प्राधिकरण जी०आई०ए०० बैरड महायोजना-२०३१ (प्रारूप) को अन्तिम रूप प्रदान किये जाने के संबंध में।	<p>इस संबंध में हुई विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श के दौरान अवगत कराया गया कि जी०आई०ए०० बैरड महायोजना-२०३१(प्रारूप) के संबंध में जनसामान्य से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित करने के उपरान्त उन पर सुनवाई की कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है। किन्तु सहयुक्त नियोजक, मेरठ द्वारा अवगत कराया गया कि आपत्ति निस्तारण के संबंध में सम्पूर्ण कार्यवाही नहीं हो पायी है जिसमें और समय लगने की संभावना है।</p> <p>उक्त के संबंध में मा० अध्यक्ष महोदय द्वारा सहयुक्त नियोजक, मेरठ को निर्देशित किया गया कि इस संबंध में प्राथमिकता पर कार्यवाही करते हुए सहारनपुर महायोजना-२०३१(प्रारूप) पर प्राप्त आपत्ति/सुझाव के निस्तारण को ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा शीघ्र ही प्रारूप को अन्तिम रूप देते हुए प्राधिकरण बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करेंगे। उक्त कार्य में कोई भी शिथिलता क्षम्य नहीं होगी।</p>
अन्य विषय-०२	अनाधिकृत कालोनियों के संबंध में।	<p>मा० अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि पूर्व से चिह्नित अनाधिकृत कालोनियों के अतिरिक्त सहारनपुर विकास क्षेत्र के अन्तर्गत विशेष रूप से मुख्य मार्गों सहित सभी स्थलों पर अनाधिकृत कालोनियों के विकसित होने के संबंध में सघन अभियान चलाकर संज्ञान लेते हुए उनके विरुद्ध प्रारम्भिक स्तर पर ही ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा यह भी निर्देशित किया गया कि जिन कालोनियों के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जा चुकी है ऐसी कालोनियों में पुनः गहनता से परीक्षण/निरीक्षण कराते हुए नवनिर्माण की संभावनाओं पर प्रभावी अंकुश भी लगाया जाये।</p>

अन्त में प्राधिकरण बोर्ड के सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद सहित बैठक समाप्त की गयी।

(रामजी लाल)

सचिव

सहारनपुर विकास प्राधिकरण,  
सहारनपुर।

(आशीष कुमार)

उपाध्यक्ष

सहारनपुर विकास प्राधिकरण,  
सहारनपुर।

(लोकेश एम०)

आयुक्त/अध्यक्ष

सहारनपुर मण्डल/विकास प्राधिकरण  
सहारनपुर।